ORIGINAL RESEARCH PAPER

Edcuation

स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा की उन्नति या अवनति : एक अध्ययन

KEY WORDS:

राकेश कुमार राम

भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा परम्परा में बालिकाओं (महिलाओं) को सदैव ही सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। उन्हें देवी माँ या सहचरी कहकर पुकारा जाता था, परन्तु इसके बावजूद भी कतिपय रुढ़िवादी कारणों से एक लम्बे समय तक महिलाओं को सदियों तक विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना करने से विमुख रखा गया। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में, ''महिलाओं को सदैव असहायता (Helplessness) तथा दूसरों पर दासवत निर्भरता (Servile Dependence on others) का प्रशिक्षण दिया गया''। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज में महिलाओं को अज्ञानता के आवरण में रखकर पिता, पति या पुत्र के दासत्व को स्वीकार करने के कार्यक्रम के कर्तव्य का ज्ञान देने मात्र को ही उस समय की महिला शिक्षा की इति श्री समझा जाता था। परन्तु आजाद भारत में परिस्थितियाँ बदल गई है।

पन्द्रह अगस्त सन् 1947 को भारत ब्रिटिश दासता से स्वतंत्र हुआ। स्वतन्त्रता के उपरान्त 26 जनवरी सन् 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान माना जाता है जिसमें संसदीय प्रणाली को अपनाते हुए राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों के साथ–साथ नागरिकों के मूल अधिकारों व मूल कर्तव्यों को भी स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय एवं अवसर की समानता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 में भी समानता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। समानता का यह अधिकार शैक्षिक क्षेत्र में भी लागू होता है। इसका निहितार्थ है कि भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। भारत सरकार ने महिला उत्थान के लिए श्रीमति जयन्ती पटनायक की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की स्थापना की। ऐसी उम्मीद की गयी कि महिलाओं के उत्थान के लिए यह कमीशन एक अच्छा अस्त्र साबित होगा। देश की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु देश में मंथन शुरु हुआ और शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो इसके लिए आयोग बनाने की बात तय हुई तब देश में सर्वप्रथम उच्च शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रथम प्रयास शुरु हुआ।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948–49

ब्रिटिश शासन के अन्तिम 50 वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा का विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ था। इस अवधि में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई। परन्तु यह वृद्धि संख्यात्मक अधिक थी तथा गुणात्मक कम थी। परिणामतः उच्च शिक्षा का स्तर गिरने लगा। इस बात पर ध्यान देते हुए उच्च शिक्षा में व्याप्त खामियों को दूर करके राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरुप उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 4 नवम्बर सन् 1948 को डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया देश की शिक्षा के लिए आयोग में महिलाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का गम्भीर अध्ययन कर उनके निराकरण के लिए कुछ निम्न सुझाव दिए है –

1. महिलाओं को सुमाता तथा सुगृहणी बनाने की शिक्षा दी जायें।
2. महिलाओं के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया गया।
3. अध्यापिकाओं को समान कार्यों के लिए अध्यापकों के बराबर वेतन दिया जाय।
4. महिलाओं को अपनी शिक्षा के विषय चुनने के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों का परामर्श लेने हेतु व्यवस्था की जाय।
5. समाज में नारी का क्या महत्व है और समाज को उनसे क्या अपेक्षाएँ है। इन तथ्यों का ज्ञान उन्हें कराया जाना चाहिए, ताकि वे देश, समाज और परिवार के प्रति अपनी भूमिका ठीक तरह से निभा सके।
6. ऐसी शिक्षा–संस्थाओं में जहाँ सह–शिक्षा प्रचलित हो, महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो।
7. ग्रामीण तथा शहरी सभी क्षेत्रों के निर्धन अभिभावकों की लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
8. अनुपातिक स्तर पर लड़कियों का अधिक नामांकन वाले तथा अधिक औसत उपस्थिति वाले गाँव को पुरस्कृत करने की योजना चलाई जानी चाहिए।

1948–49 ई0 में बने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जिम्मे जो शिक्षा में सुधार कार्य को सौंपी गई उसमें यह आयोग पुरी तरह सुधार नहीं कर पाया अतः महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने हेतु सन् 1958 ई0 में दुर्गाबाई देशमुख समिति गठित की गई।

दुर्गाबाई देशमुख समिति 1957–59

महिला शिक्षा की समस्याओं तथा उनका समाधान करने के उपयोग पर विचार करने के लिए सन् 1958 में भारत सरकार ने दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (National Committee on Women's Education) का गठन किया जिसे समिति की अध्यक्षा के नाम पर दुर्गाबाई देशमुख समिति कहा गया। इस समिति ने महिला शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके जनवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है–

1. भारत सरकार को एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत निश्चित योजना के अनुरुप महिला शिक्षा का विकास करने का भार अपने उपर लेना चाहिए।
2. भारत सरकार को समस्त राज्यों के लिए महिला शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिए तथा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को आवश्यक धनराशि प्रदान करनी चाहिए।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के प्रसार के लिए विषेश प्रयास किये जाने चाहिए।
4. महिला शिक्षा के प्रसार हेतु राज्यों में लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा की राज्य परिशदें (State Councils of Education For Girls Women) गठित करनी चाहिए।
5. सभी अध्यापकों के वेतन वृद्धि के साथ ही पेंशन–भविश्य निधि बीमा की त्रीलाभ योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

दुर्गाबाई देशमुख समिति के सुझाव को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने सन् 1965 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिशद (National Council of Women's Education) का गठन किया। इन परिशद का प्रमुख कार्य लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु तथा महिला शिक्षा के प्रसार एवं उसमें सुधार हेतु नीतियों, कार्यक्रमों व प्राथमिकताओं से सम्बन्धित सुझाव देना है। यह परिशद समय–समय पर महिला शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करके भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है।

लेकिन दुर्गाबाई देशमुख समिति ने लड़कियों की शिक्षा के हर मोड़ पर सुधार नहीं कर पाई। खासकर पाठ्यक्रम को लेकर संशय बना रहा और फिर 1961 में हंसा मेहता समिति गठित करनी पड़ी।

हंसा मेहता समिति : 1964

राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिशद (National Council for women's Education) ने 10 मई 1961 की अपनी बैठक में अपनी अध्यक्षता में इस बात के लिए अधिकृत किया कि वह शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों के पाठ्यक्रमों की समस्या पर विस्तार से विचार करने के लिए एक समिति का गठन करें। तब 1 नवम्बर सन्1961 को राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती द्राक्षा सरन ने शिक्षा मन्त्रालय के परामर्श से श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसे हंसा मेहता समिति के नाम से जाना जाता है।

सामान्य शिक्षा के स्वरुप का सम्यक विश्लेषण करने के उपरान्त लड़कियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में हंसा मेहता समिति (Hansa Mehta Commitee) के द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नवत है–

1. समिति ने लड़के–लड़कियों के बीच शारीरिक, बौद्धिक व मनोवैज्ञानिक विषेशताओं में अन्तर होने की परम्परागत धारणा को मिथ्या मानते हुए कहा कि लड़के–लड़कियों की शैक्षिक व व्यावसायिक उपलब्धियों में दृश्टिगोचित अन्तर वस्तुतः उपयुक्त अवसरों की कमी अथवा परम्परागत सांस्कृतिक दश्टिकोण के कारण होता है।
2. संविधान में लड़के व लड़कियों को समान माना गया है, इसलिए लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा के अन्तर को तेजी से कम करना चाहिए।
3. प्रथमिक स्तर पर सह शिक्षा (Co-education) को सामान्यतः अपनाया जाना चाहिए।
4. मध्य तथा माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा (Sex Education) दिया जाना आवश्यक है।
5. पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से लड़के–लड़कियों में एक दूसरे के प्रति उचित दृश्टिकोण विकसित करना चाहिए।

हंसा मेहता समिति के द्वारा प्रस्तुत किए गये सुझावों के अवलोकन से स्पश्ट है कि इस समिति ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम के विचार को निरुत्साहित करते हुए समिति ने लड़कियों के लिए विज्ञान व गणित की शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देने की संस्तुति की।

लड़कियों की शिक्षा के सन्दर्भ में यहाँ मद्रास के मुख्यमंत्री श्री एम0 भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में सन् 1963 में गठित कन्या शिक्षा तथा जनसहयोग समिति (Girls'Education and Public Co-operation Committee) की उस सिफारिश की चर्चा करना उचित होगा जिसमें समिति ने लड़कियों की शिक्षा में जनसहयोग की भूमिका को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वीकार किया था। समिति का विचार था कि स्कूल खोलने, स्कूल भवन तैयार करने में, सह शिक्षा के प्रचार में महिलाओं में अध्यापन व्यवसाय को लोकप्रिय बनाने में तथा विवाहित महिलाओं को अंशकालीन शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने में प्रत्यक्ष जन सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

अभी तक भारत में जितने भी आयोग गठित किया गया उसमें किसी भी आयोग या समिति का संबंध शिक्षा के सब पहलूओं से नहीं था। इसलिए एक ऐसे आयोग गठन की आवश्यकता थी, जिसकी सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था से संबंध हो, और जिसका समग्र रुप से शिक्षा व्यवस्था से संबंध हो और वह समग्र रुप से शिक्षा की व्यवस्था के बारे में अपने सुझाव दे सके।

कोठारी कमिशन 1964–66

सन् 1964 में डॉ दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, जिसने अपना प्रतिवेदन सन्1966 में दिया था, ने भी महिला शिक्षा की समस्या पर विचार किया तथा अपने सुझाव प्रस्तुत किये। कोठारी आयोग ने मानव संसाधनों के विकास, परिवारों की उन्नति तथा बालकों के चरित्र–निर्माण में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया तथा स्त्री शिक्षा के लगभग सभी पक्षों पर अपने विचार प्रस्तुत किये जो निम्न है।

1. भारतीय संविधान में संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकाधिक प्रयास किये जाए।
2. लड़कियों को अध्ययन के लिए लड़कों के विद्यालयों में भेजने के लिए जनमत तैयार किया जाय।
3. लड़कियों के लिए निःशुल्क छात्रावासों तथा छात्रवृतियों की व्यवस्था की जाये।
4. लड़कियो के लिए अल्पकालीन शिक्षा (Part Time Education) तथा व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) की व्यवस्था की जाये।
5. विवाहित महिलाओं के लिए अंशकालीन शिक्षा (Part Time Education) तथा अविवाहितों के लिए पूर्णकालिक शिक्षा (Whole Time Education) की व्यवस्था की

जाये।
6. स्त्री शिक्षा के संचालन के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तर पर प्रशासनिक तन्त्र (**Administrative Setup**) का गठन किया जाये।

भारत सरकार के द्वारा गठित स्त्रियों की स्थिति पर समिति 1971–74 (Committees on the States of Women 1971-74) के प्रतिवेदन जिसका शीर्षक समानता की ओर (Towards Equality) था, के अध्याय छह में स्त्रियों की शिक्षा, सह–शिक्षा पाठ्यक्रम, यौन शिक्षा आदि से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे।

महत्वपूर्ण सुझाव देने के बावजूद महिलाओं के शैक्षणिक स्थिति में जितना सुधार होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। जिसके चलते देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के व्यक्तिगत प्रयास से 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार करने की बात की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 –
सन् 1986 में घोशित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गई है। शिक्षा को स्त्रियों के स्तर (Status) में मूलभुत परिवर्तन लाने के साधन के रुप में प्रयोग करने को कहा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N P E) तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम (POA - 1992) में स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित निम्न बातें सम्मिलित की गई है–
1. पुनर्रचित पाठ्यक्रमों, नीति–निर्धारकों व प्रशासकों के प्रशिक्षण व पुनश्चर्या कार्यक्रमों तथा शिक्षा संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता के द्वारा नये मूल्यों के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा।
2. विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंक के रूप में स्त्री अध्ययनों (Women's Studies) को बढ़ावा दिया जायेगा।
3. स्त्री निरक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच तथा उसमें बने रहने के मार्ग की बाधाओं के निराकरण सम्बन्धित प्रयासों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. यौन विभेद न करने की नीति को बढ़ावा दिया जायेगा जिससे व्यावसायिक व वृतिक पाठ्यक्रमों से यौन प्रधानता (Sex Stereo & Typing) को समाप्त किया जा सके तथा गैरपरम्परागत रोजगारों के साथ–साथ वर्तमान में विकसित हो रही तकनीकी में स्त्रियों को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रोफेसर राममूर्ति समिति (1991)
बालिका शिक्षा पर इसके सुझाव निम्नलिखित है–
1. महिला शिक्षक की अधिक से अधिक नियुक्ति हो।
2. विद्यालयों में पोशण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास का समावेश किया जाय।
3. विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाय।
4. छात्रवृतियाँ, मुफ्त पाठ्य–पुस्तकों का वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन अधिक से अधिक दिये जाएँ।

लिंग के अनुसार साक्षरता

वर्श	पुरुश	महिला	कुल
1901	9.8	0.6	5.2
1911	10.3	1.6	5.9
1921	12.2	1.8	7.0
1931	15.6	2.9	9.25
1941	24.9	7.3	16.1
1951	24.9	7.9	16.4
1961	34.9	13.0	24.0
1971	39.5	18.7	29.1
1981	46.9	24.8	36.0
1991	63.86	39.42	51.64
2001	75.8	54.16	64.98
2011	82.1	65.5	73.8

उपरोक्त तालिका से स्पश्ट है कि जहाँ 1951 में 7.9 प्रतिशत महिला साक्षर थी। 60 वर्षों पश्चात् 2011 में 65.5 प्रतिशत महिला जनसंख्या ही साक्षर हो सकी अर्थात् आधी से थोड़ा कम स्त्रियाँ अभी तक निरक्षर है यानि कि इस व्यवस्था में और सुधार की जरुरत है। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आकड़े दर्शाते है कि राजस्थान (52.12 प्रतिशत) और बिहार (51.50 प्रतिशत) महिला साक्षरता है। अभी भी महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15–18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है और इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में संलग्न होती है या भीख मांगने जैसे कार्यों में लगी है। उल्लेखनीय है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गम्भीर है।
नई शिक्षा नीति 2020

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोशणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उदेश्यों के तहत वर्श 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER (Gross Enrolment Ratio) के साथ–साथ पूर्व–विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक **के कस्तुरीरंगन** की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

निष्कर्श
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 वीं सदी के भारत की जरुरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आयेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। 34 वर्षें पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उदेश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा (3–6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस थ्री–डी मशीन, डेटा–विश्लेषण, जैव–प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

सन्दर्भ सूची :

1. जौहरी पाठक : भारतीय शिक्षा का इतिहास
2. डॉ0 एस0 पी0 गुप्ता एवं डॉ0 अलका गुप्ता : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें
3. कुकरेजा, सुन्दर लाल : पिछले 50 वर्श की उपलब्धियाँ और भावी संभावनाएँ, योजना, अगस्त 1998, अंक–10 पृश्ट– 6
4. पंत प्रदीप : क्या लड़कियाँ सचमुच बीच में ही पढ़ना छोड़ देती है? समाज कल्याण, मार्च 1997 पृ0–7
5. कुमारी, सुशीला: शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की उपेक्षा, समाज कल्याण, मार्च 1997, पृ0– 9
6. अल्टेकर, ए. एस : द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिवलाइजेशन, अध्याय–11 पृ0– 305
7. सिंह, श्याम सुन्दर : शिक्षा की दौड़ में भारतीय महिला योजना 15 मई 1993 अंक–6 पृ0– 19–20
8. डॉ सूर्य प्रकाश अग्रवाल, निरक्षरता के खिलाफ खोखली लड़ाई दैनिक जागरण, 28 सितम्बर 2002 पृ0– 10
9. सी. जयन्ती साक्षरता एक आवश्यक शर्त योजना अगस्त 2001 अंक–5 पृ0–13
10. प्रकाश नरायण नारायणी, महिला समानता के लिए आवश्यक है बालिका शिक्षा 2004 अंक– 12
11. पाठक पी.डी. भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ 1981
12. प्रभात, सुमन, प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम 1996
13. वार्षिक रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1990
14. विश्वमित्र? जगेन्द्र नारी शिक्षा जीवन की बुनियाद है, 1997
15. अग्निहोत्री रविन्द्र– आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ और समाधान, जयपुर, राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक।
16. श्रीमाली, के. एल. प्राब्लम्स ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया, नई दिल्ली : पब्लिकेशन